पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर ... कार्य न स्थगन है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 9/11/23 को पेश हो।

17.10.2023

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने राजीनामा मय शपथ–पत्र पेश किया।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित में राजीनामा पेश कर अंकित किया कि श्रीमान जी के न्यायालय में एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर के प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 18.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एवं बिरादरी पंचायत के समक्ष राजीनामा कर लिया है। राजीनामा अनुसार चक 20 एसपीएम तहसील सादुलशहर पटवार हल्का चौधरी चेतरामवाला के खाता संख्या 111/111 के पत्थर नम्बर 25/199 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5/1 में 0.215 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/2 में 0.03 हैक्टेयर आराजी द्वितीय पक्षकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर प्रथम पक्षकार मकान बनाकर कई वर्षो से निवास कर रहा है जिसको हटाने का आदेश द्वितीय पक्षकार के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर से करवाया गया है जिसके विरूद्ध प्रथम पक्षकार द्वारा श्रीमान जी के समक्ष अपील प्रस्तुत की हुई है जो कि जैरकार है। यह कि बिरादरी पंचायत द्वारा प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य राजीनामा करवा दिया गया है। राजीनामा अनुसार द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार के चाहने वाले व्यक्ति के नाम इकरारनामा लिखवा दिया है और प्रथम पक्षकार का पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है और अब द्वितीय पक्षकार श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है और प्रथम पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर के प्रकरण संख्या 1/2022 निर्णय दिनांक 18.04.2023 को निरस्त किया जाता है तो द्वितीय पक्षकार को कोई आपति नहीं है और भविष्य में कोई आपति या अपील श्रीमान जी के निर्णय के खिलाफ द्वितीय पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के जायज वारिसों द्वारा नहीं की जावेगी। यह कि राजीनामा अनुसार द्वितीय पक्षकार का उक्त रकबे पर कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिए

प्रथम पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायायल के निर्णय को निरस्त किया जाता है तो द्वितीय पक्षकार को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रथम पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील को आज रोज की तारीख पेशी में ली जाकर इसी स्टेज पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (सादुलशहर) के निर्णय को निरस्त किया जावें। उक्त राजीनामा की तस्दीक अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया एवं पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) द्वारा धारा 183(बी) के तहत दोनो पक्षों को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2023 पारित किया गया है। अपीलार्थी एक स्वर्ण जाति का व्यक्ति है एवं रेसपोडेन्ट अनु. जाति का है। उक्त रकबा का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 20.12.2000 द्वारा चक 20 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 2 ता 5 कुल 4 बीघा रकबा जिस व्यक्ति द्वारा खरीद किया गया वह भी एस.सी. का व्यक्ति है परन्तु अपीलांट जो कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति है बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज था जिसके द्वारा अपना राजीनामा एवं कब्जे बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि का कब्जा रेसपोडेन्टस को देना अंकित किया है जिस पर रेस्पोडेन्ट ने कब्जा प्राप्त होना स्वीकार किया है। विवादित आराजी कानूनी रूप से हस्तांतरित होने के कारण उक्त प्रकरण में धारा 42 (ख) का उल्लंधन नहीं पाया गया है। फलस्वरूप अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट का आपस में उपस्थित होकर राजीनामा पेश करना एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा प्राप्त करना स्वीकार करने पर अपील राजीनामा के आधार पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।